

राशन पात्रता पर्ची हेतु आवेदन

(आवेदन भर दस्तावेज संलग्न कर ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय कार्यालय में संधारण किया जाये)

1. मुखिया का नाम : समग्र परिवार आई.डी :
2. पिता/पति का नाम :
3. उम्र :
4. लिंग :
5. मोबाइल नंबर :
6. आधार नंबर :
7. पता :
8. परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण -

	नाम	उम्र	मुखिया से संबंध	सदस्य समग्र आई.डी
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				

9. पात्रता श्रेणी का विवरण :

10. दस्तावेज सलग्न करें:

- समग्र परिवार आई.डी
- पात्रता श्रेणी संबंधी दस्तावेज
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड

हस्ताक्षर आवेदक

घोषणा - पत्र

मैं, पिता/पति, यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरे परिवार में कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं है तथा केंद्र/राज्य सरकार के किसी कार्यालय/शासनिक अधिस्थान/स्वायत्त उपक्रम /राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सहकारी संस्थायें शामिल हैं में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी नहीं है एवं मैं उपरोक्त पात्रता श्रेणी के अंतर्गत राशन पात्रता रखता/रखती हूं।

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। पूर्व में मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से पूर्व से कोई राशन पर्ची जारी नहीं है। यदि आवेदन में दिए गए कोई भी तथ्य/दस्तावेज असत्य/विसंगत/त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो उसके लिए मैं स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर आवेदक